ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01, नॉलेज पार्क–04 ग्रेटर नौएडा सिटी–201310, जिला–गौतमबुद्ध नगर।
वेबसाईट–www.greaternoidaauthority.in ईमेल–authority@gnida.in

दिनांक–31.05.2019

प्रेस विज्ञप्ति

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 114वीं बोर्ड बैठक दिनांक–31.05.2019 के विषयक।

1. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु धनराशि रू0 4260.40 करोड के प्राविधानित बजट का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया जो कि पिछले वर्ष के अनुमोदित बजट से 17% अधिक है। जिसमें मुख्यतः जेवर एयरपोर्ट हेतु ग्रेटर नोएडा का अंशदान रू0 300.00 करोड, नौएडा–ग्रेटर नौएडा मेट्रो हेतु रू 100.00 करोड, आन्तरिक एवं वाह्य विकास हेतु रू0 431.00 करोड, शहरी रख–रखाव हेतु रू 376.40 करोड, ग्रामीण विकास हेतु रू0 200.00 करोड तथा उद्यानीकरण विकास हेतु रू0 20. 00 करोड के व्यय का प्राविधान किया गया है।
2. ग्रेटर नौएडा शहर की आधारभूत सुविधाएं (Infrastructure) विश्वस्तरीय स्तर की है। इसमें स्वच्छता बनाये रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसको सुनियोजित (Systematic) ढग से करने हेतु सिस्टम एंव बेस्ट प्रैक्टिसेस विकसित किये जाने की आवश्यकता है। अतः ग्रेटर नोएडा परिक्षेत्र मे सिटी सेनिटेशन पॉलिसी (City Sanitation Policy), डीसेन्ट्रेलाईज्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी (Decentralised Solid Waste Management Policy), कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिएशन वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी (Construction and Demolition Waste Policy), फीकल स्लज एवं सैप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी (Faecal Sludge & Septage Management Policy) की नीतियों को लागू किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया।
3. भारत सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री आवासीय योजना (PMAY) के अन्तर्गत प्राधिकरण को 10000 आवासों का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। उक्त योजना का कियान्यवन राज्य सरकार के अन्तर्गत ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में किये जाने हेतु तैयार की गयी नीति/कार्य योजना के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया।
4. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवंटी/आवंटियों जिन्होने किन्ही कारणों से अपने पानी के देय बिलों का भुगतान नही किया है। उन आवंटियों की सुविधा हेतु प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार एक मुश्त भुगतान योजना (One Time Settlement Scheme) लाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान गया है:–
    - दिनांक 31.03.2019 तक के लम्बित देय जल मूल्य धनराशि को छूट लागू होने के प्रथम माह के दौरान बकाया धनराशि जमा करने पर सामान्य प्रकरण में कुल ब्याज में 40 प्रतिशत, द्वितीय माह हेतु 30 प्रतिशत, तृतीय माह हेतु 20 प्रतिशत एवं चतुर्थ माह हेतु 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी, ।
    - अतः प्राधिकरण के सभी आवंटी उपरोक्त योजना का लाभ उठाते हुए अपने पानी के देय बिलो के भुगतान अतिशीघ्र करते हुए देय ब्याज धनराशि में उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त कर सकते है।

Scanned with CamScanner

5. ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में **Energy efficiency** को ध्यान में रखते हुए प्रकाश व्यवस्था हेतु **LED Lights** लगाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु स्थापित पारम्परिक पथ–प्रकाश व्यवस्था को समान प्रकाश की कम खपत वाली एल.ई.डी. से परिवर्तित करने का कार्य भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन **M/s. EESL (Energy Efficiency Services Ltd.)** के माध्यम से कराये जाने से संबंधित प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

   उक्त व्यवस्था लागू करने हेतु प्राधिकरण द्वारा किसी भी धनराशि का वहन नही किया जायेगा केवल विद्युत ऊर्जा मूल्य में होने वाली धनराशि के आंशिक प्रतिशत का भुगतान ही (एस्क्रो मोड) प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। जिससे प्राधिकरण को परम्परागत पथ प्रकाश (**Street Lighting**) के फिक्चर्स को एल.ई.डी. फिक्चर्स में परिवर्तित करने पर एकमुश्त धनराशि का व्यय भी नही करना पडेगा।

6. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.09.2011 से पूर्व आवंटित औद्योगिक भूखण्डों (सैक्टर इकाटेक–**XI** को छोडकर) की लीजडीड दिनांक–31.01.2018 तक निष्पादित नही हो सकी है उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 03 माह का समय निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ प्रदान किया जाता है। यदि आवंटियों द्वारा उपरोक्त निर्धारित अवधि में अपने भूखण्ड की लीज डीड निष्पादित नही करायी जाती है, तो उनके औद्योगिक आवंटनो को निरस्त कर दिया जायेगा।

7. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.09.2011 से पूर्व आवंटित औद्योगिक भूखण्ड जिनकी लीजडीड दिनांक 30.11.2016 तक निष्पादित हो चुकी है, को निर्माण/क्रियाशील हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 06 माह का समय निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ समय विस्तरण दिये जाने का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है। यदि औद्योगिक इकाइयों द्वारा उक्त अवधि में अपने भूखण्ड का निर्माण/क्रियाशील नही कराया जाता है तो उनके आवंटनो को निरस्त करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।

8. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित समस्त परिसम्पत्तियों में अतिदेयता की वसूली के लिए आंशिक संशोधन के साथ रि–शड्यूलमेंट पॉलिसी (**Reschdulement Policy**) की अवधि दिनांक–31.08.2019 तक बढाये जाने का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान कर दिया गया है।

   उक्त नीति के अन्तर्गत संबंधित बिल्डर्स/डेवलपर्स निर्धारित प्रक्रिया एवं देयो का भुगतान करते हुए उक्त सुविधा का लाभ निर्धारित तिथि तक ही उठा सकते है। जिससे लम्बित परियोजनाओं को पूर्ण करने में एवं फ्लैट बायर्स को कब्जा हस्तगत कराने में काफी सहूलियत हो जायेगी।

9. मै0 एन0एम0आर0सी0 (**Noida Metro Rail Corporation**) से मैट्रो एक्वा लाइन को सैक्टर–142 से बॉटिनीकल गार्डन तक की **viability, feasibility and DPR** आदि तैयार किये जाने संबंधित प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। जिससे ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के निवासियो को नौएडा एवं दिल्ली जाने हेतु एक और विकल्प प्राप्त हो सकेगा तथा कम समय में यात्रीगण अपने गन्तव्य तक पहुँच सकेगें। उक्त के अतिरिक्त बोडाकी रेलवे स्टेशन विश्वस्तरीय रेलवे जंक्शन एवं मल्टी माडल ट्रान्सपोर्टेशन हब (MMTH) के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण द्वारा मैट्रो परियोजना को ग्रेटर नोएडा डिपो मैट्रो स्टेशन से बोड़ाकी रेलवे स्टेशन तक जोड़ने के लिए एन.एम.आर.सी को फिजीबिल्टी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

10. ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में प्राकृतिक हरितिमा युक्त परिवेश के संवर्धन हेतु उद्यानिक स्थलों के विकास एवं अनुरक्षण में जनसामान्य की भागीदारी के प्रोत्साहनार्थ रोटरी/ग्रीन बैल्ट आदि उद्यानिक क्षेत्रों के विकास/अनुरक्षण हेतु विभिन्न समाजिक व्यवसायिक अथवा शैक्षणिक संस्थाओं/प्रतिष्ठानों को एडोप्शन(**Adoption**) पर दिए जाने विषयक विनियमावली **"Adopt A Green Area Revised Policy 2019"** को अंगीकृत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया ।

Scanned with CamScanner

11. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के वाणिज्यिक क्षेत्र के अन्तर्गत रिक्त 50 वाणिज्यिक भूखण्ड, 40 दुकान, 54 क्योस्क, 06 पेट्रोल पम्प एवं 11 मिल्क बूथ की योजना **online/continuous basis** पर लाये जाने का बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया गया है ।

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा पहली बार वाणिज्यिक क्षेत्र के अन्तर्गत **online Bid/E-Auction** द्वारा उपरोक्त योजना लायी जायेगी।

12. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित संस्थागत परिसम्पत्तियों **(Institutional Properties)** में सम्पूर्ण परियोजना परिवर्तन की अनुमति निर्धारित प्रक्रिया एवं शुल्क के साथ तभी प्रदान की जायेगी कि मूल आवंटित परियोजना एवं परिवर्तित की जाने वाली परियोजना के श्रेणी**(Category)** की दरें समान हो। उक्त विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया।

13. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की **113**वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित ओ0टी0एस0 योजना **(One Time Settlement Scheme)** वित्तीय वर्ष **2012-13** से पूर्व की आवंटन पद्धति से आवंटित आवासीय (भूखण्ड/भवन) योजनाओं में केवल उन प्रकरणो पर लागू होगी जो वर्तमान में डिफाल्टर (प्रीमियम, लीज डीड बिलम्ब शुल्क एवं अतिरिक्त प्रतिकर मद में) हैं। उक्त योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.05.2019 को पुनः दिनांक 30.09.2019 (चार माह) तक आवेदन हेतु विस्तारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया।

14. भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा बनायी गयी मॉडल नीति के आधार पर प्राधिकरण द्वारा भी ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के छात्रो हेतु **Internship Policy** लागू किये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। प्रारम्भ में प्राधिकरण के अभियंत्रण एवं नियोजन विभाग **(Engineering & Planning Department)** में **Interns** लिये जाने का प्राविधान किया गया है।

15. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा वेस्ट के सेक्टर–1 के निकट प्रथम चरण में 80 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र (एस0टी0पी0)के निर्माण किये जाने विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया। जिसकी क्षमता को भविष्य में बढाकर 246 एम0एल0डी0 किया जायेगा। उक्त एस0टी0पी0 के निर्माण से ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र से उत्सर्जित होने वाले सीवेज का शोधन होगा जिससे खुले में बहाये जा रहे सीवेज की रोकथाम भी होगी।

———

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner